Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 3878 / 2003 / नागौर

रामेश्वर उर्फ मदनराम पुत्र श्री हनुमान, जाति मीणा निवासी ग्राम फिरवासी तहसील लाडनू जिला नागौर।

.......अपीलान्ट

बनाम

1- मोहनराम)
2- भागीरथ) पुत्रान श्री महादेव जाति मीणा निवासी ग्राम
3- लच्छाराम) फिरवासी तहसील लाडनू जिला नागौर।
4- कानाराम पुत्र श्री हनुमानराम, जाति मीणा निवासी ग्राम फिरवासी तहसील लाडनू जिला नागौर।

......रेस्पोन्डेन्ट्स

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 3879 / 2003 / नागौर

मदनराम उर्फ रामेश्वर पुत्र श्री हडमानराम, जाति मीणा निवासी ग्राम फिरवासी तहसील लाडनू जिला नागौर।

.......अपीलान्ट

बनाम

1- भागीरथ)
2- लच्छाराम) पुत्रान श्री महादेव जाति मीणा निवासी ग्राम
3- मोहनराम) फिरवासी तहसील लाडनू जिला नागौर।
4- कानाराम पुत्र श्री हडमानराम, जाति मीणा निवासी ग्राम फिरवासी तहसील लाडनू जिला नागौर।

......रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड-पीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः-

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री मनीष पाण्डिया, अभिभाषक (ब्रीफ होल्डर) रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 से 3
श्री लोकेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या-4

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 3878 / 2003 / नागौर
रामेश्वर बनाम मोहनराम आदि

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 3879 / 2003 / नागौर
मदनराम उर्फ रामेश्वर बनाम भागीरथ आदि

दिनांक : 17 अप्रैल, 2018

निर्णय

1– उपरोक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–73/96 शीर्षक रामेश्वर बनाम मोहना आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–5–2003 तथा अपील संख्या–63/96 शीर्षक भागीरथ आदि बनाम कानाराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–5–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– दोनों अपीलों में विवादग्रस्त भूमि तथा पक्षकार एक समान होने के कारण दोनों अपीलों को एकल निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3– **अपील संख्या–3878/03 शीर्षक रामेश्वर बनाम मोहना आदि के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है :–**

वादी / अपीलान्ट रामेश्वर ने एक दावा संख्या–113/83 अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक रामेश्वर बनाम मोहना आदि, न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष खसरा नम्बर–173 रकबा 57.06 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ता 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय दिनांक 12–6–1996 के द्वारा दावा को खारिज कर दिया। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–6–1996 के विरूद्ध वादी / अपीलान्ट ने प्रथम अपील संख्या–73/96 शीर्षक रामेश्वर बनाम मोहना आदि, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–5–2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी / अपीलान्ट ने द्वितीय अपील संख्या–3878/03 शीर्षक रामेश्वर बनाम मोहना आदि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 3878 / 2003 / नागौर
रामेश्वर बनाम मोहनराम आदि

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 3879 / 2003 / नागौर
मदनराम उर्फ रामेश्वर बनाम भागीरथ आदि

4- **अपील संख्या-3879/03 शीर्षक मदनराम बनाम भागीरथ आदि के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है :-**

वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 व 2 ने एक दावा संख्या-114/83 अन्तर्गत धारा-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक भागीरथ आदि बनाम काना आदि, न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष खसरा नम्बर-211, 173 व 113 के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या-1 व 2 / वर्तमान अपीलान्ट व वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या-4 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विद्वान सहायक कलेक्टर, डीडवाना ने अपने एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-6-1996 के द्वारा दावा खारिज कर दिया। वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 व 2 ने सहायक कलेक्टर, डीडवाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-6-1996 शीर्षक भागीरथ आदि बनाम कानाराम आदि, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-5-2003 के द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-6-1996 निरस्त कर वादीगण का दावा संख्या-114/93 स्वीकार कर डिक्री कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-5-2003 से व्यथित होकर वर्तमान अपील संख्या-3879/03 शीर्षक मदनराम बनाम भागीरथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6- दोनों ही अपीलों में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि की गयी है। दोनों ही प्रकरणों में विवादग्रस्त भूमि तथा पक्षकार एक समान है। दोनों ही दावों के निर्णय का प्रभाव एक-दूसरे के विपरीत रहेगा। विद्वान परीक्षण न्यायालय को यह चाहिये था कि दोनों ही दावों को Club कर निर्णय पारित करते, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दोनों ही दावों का अलग अलग विचारण कर निर्णय पारित किये हैं, जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है। दावा संख्या-114/93 अन्तर्गत धारा-88-188

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 3878 / 2003 / नागौर
रामेश्वर बनाम मोहनराम आदि

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 3879 / 2003 / नागौर
मदनराम उर्फ रामेश्वर बनाम भागीरथ आदि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है। दोनों ही दावों में तनकी नहीं बनाई गई तथा ना ही साक्ष्य ली गयी है। इस महत्वपूर्ण बिन्दू को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने नजरअंदाज करते हुये अपना निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं। प्रक्रियात्मक त्रुटि होने के कारण दोनों ही अपीलों के गुणावगुण को निर्णित किये बिना तकनीकी आधार पर निर्णित की जा रही है।

7– फलस्वरूप दोनों ही अपीलें स्वीकार की जाकर विद्वान सहायक कलेक्टर, डीडवाना द्वारा दावा संख्या–113/83 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–6–1996 एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–73/96 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–5–2003 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, डीडवाना द्वारा दावा संख्या–114/93 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–6–1996 तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–63/96 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–5–2003 निरस्त कर प्रकरण सहायक कलेक्टर, डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों दावों को Club कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर दोनों दावों को नये सीरे से निर्णित करें। उभयपक्ष को आदेश दिया जाता है कि इस निर्णय की प्रमाणित प्रति लेकर दिनांक 30–5–2018 को न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष उपस्थित होंवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

<u>(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 3878 / 2003 / नागौर</u>
रामेश्वर बनाम मोहनराम आदि

<u>(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 3879 / 2003 / नागौर</u>
मदनराम उर्फ रामेश्वर बनाम भागीरथ आदि